न्यायालय, अपील अधिकारी (जिला कलक्टर), सीकर

पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 25/2019/प्रथम अपील

शिवगौतम मील, ग्राम मीलों की ढ़ाणी, पोस्ट मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)– 332312।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांक: 20 अगस्त, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **शिवगौतम मील** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **05.06.2019** द्वारा राशन व केरोसीन वितरण दुकान धारक जगदीश प्रसाद, दुकान नम्बर 98, ग्राम हिरणा, पंचायत समिति फतेहपुर से सम्बन्धित 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की के मध्य की निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

   (1) मास्टर कार्ड रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (2) स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (3) निरीक्षण पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (4) केश मीमो की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (5) माहवार आवंटन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।

   साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता तथा आपके विभाग में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा सूचना को संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता बताएं।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्रीमती सुनिता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, नीमकाथाना उपस्थित।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy, Not Official

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **23.07.2019** द्वारा अवगत करवाया गया है कि :–

(1) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र कार्यालय में दिनांक 10.06.2019 को प्राप्त हुआ।

(2) बिन्दु संख्या 1 के सन्दर्भ में मास्टर कार्ड रजिस्टर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

(3) बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 के सन्दर्भ में खाद्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकानदार को वितरण से सम्बन्धित रिकॉर्ड एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यापार परिसर में सुरक्षित रखनेके निर्देश हैं। वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है। अतः सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 5 के सन्दर्भ में माहवार आवंटन रिपोर्ट हेतु आवेदक को कार्यालय के पत्र दिनांक 10.07.2019 द्वारा सूचना के 40 पृष्ठों हेतु 80 रूपये कार्यालय में जमा करवाने हेतु पत्र लिखा गया था। आवेदक द्वारा आदिनांक तक कार्यालय में निर्धारित राशि जमा नहीं करवाने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना, कार्यालय के पत्र दिनांक 10.07.2019 द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें अपीलान्ट को 30 दिवस की अवधि में शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया था परन्तु अपीलान्ट द्वारा निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं करवाया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा सूचना संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता अधिनियम के तहत चाहा गया है परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

8. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को पैरा संख्या 7 से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवायें। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

9. उक्त आदेश के विरुद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(सी.आर. मीना)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner